संख्या-261/2026/175जेएल/22-3-2026-ई-1910029

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
हमीरपुर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20-08-2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह को माता के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-621-22/प्रोबेशन/बंदी पैरोल/2026-27, दिनांक 22-05-2026 तथा पत्र संख्या-C-709/जि0प्रो0का0/बंदी/पैरोल/2026-27, दिनांक 30-05-2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू सिंह (बंदी संख्या-18/20) पुत्र श्री रघुवीर सिंह, निवासी-हाथी दरवाजा, कस्बा-हमीरपुर, थाना-कोतवाली हमीरपुर, जनपद-हमीरपुर को माता के उपचार हेतु 01 माह के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर कारागार से छोड़े जाने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ देते है कि बन्दी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में शान्ति बनाये रखने तथा अच्छे चाल-चलन रखने और पैरोल की अवधि समाप्त होने पर जेल में वापस जाने के लिए आप की संतुष्टि के अनुसार दो जमानतों सहित एक निजी मुचलका दाखिल करे तथा बन्दी के विरूद्ध अन्य कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो इसे सुनिश्चित कर लिया जायें तथा बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक हो। पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि को बन्दी द्वारा काटी गयी सजा में नही जोड़ा जायेगा।

2- यदि बन्दी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) समाप्त होने पर नियत तिथि को जेल में हाजिर न हो तो बन्दी तथा उसके जमानतदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये। बन्दी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में अपने निवास स्थान के थाने में अपनी उपस्थिति की सूचना देता रहेगा।

3- बन्दी को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि यदि वह स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि समाप्त होने पर निर्धारित दिनांक को वापस नहीं आता है तो उसके विरूद्ध किये जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह भविष्य में एक निश्चित अवधि अथवा सदा के लिए परिहार तथा पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पाने का अधिकारी न होगा।

4- यह आदेश जारी होने की दिनांक से 06 माह तक मान्य होंगे।

5- कृपया इस आदेश की प्राप्ति की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2-पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।

3-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बन्दी को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर रिहा किये जाने तथा बन्दी के जेल में हाजिर होने की तिथि शासन को अनुभाग की ई-मेल आई0डी0 पर उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिन अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in